तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2612/2005/जयपुर मदन बनाम भोलू व मांगीलाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –
श्री आशीष कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्
श्री जी.एस.लखावत व श्री समीर अहमद, विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स

–आदेश–

दिनांकः– 12–03–2025

अपीलांट् ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–171/1997 बउनवानी भोलू बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21–03–2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि विवादग्रस्त आराजी जो भोलू को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी, उस पर प्रार्थी/अपीलांट का कब्जा है, जिसके लिए प्रार्थी ने भी आवंटन हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी इस भूमि पर काबिज है यह उसके विरुद्ध चली अतिक्रमण की कार्यवाही और उस पर कायम की गयी पैनल्टी तथा उक्त पैनल्टी उसके द्वारा जमा भी करायी गयी होने से प्रार्थी का कब्जा साबित है, उक्त आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी की ओर से भूमि आवंटन नियम 1970 के आदेश 14 नियम 04 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त आवेदन को जिला कलक्टर द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा अपील को स्वीकार किया गया। इसी निर्णय के विरुद्ध यह हस्तगत अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त निर्णय पारित करते हुए विधि सम्मत् तरीके से प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पक्षकार स्थापित किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित करते हुए प्रार्थी को विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि पर हितबद्धता के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए प्रार्थी की हस्तगत् अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय अपास्त फरमाया जावे। मियाद के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया चूंकि आक्षेपित आदेश अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियाद अधिनियम बाधक नहीं होने व अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद पेश करने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट् की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2612/2005/जयपुर मदन बनाम भोलू व मांगीलाल	नम्बर व तारीख

अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष आराजी जैर के सदभावी क्रेता होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश करते हुए अपील में पक्षकार स्थापित किये जाने की मांग किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर मांगीलाल पुत्र सुखाराम को बतौर पक्षकार स्थापित किया गया। है। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कॉमन बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि भोलू को दिनांक 17-06-1992 को आवंटित हुई। उक्त आवंटन के बाद रेस्पोडेन्ट् भोलू को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए और गैर खातेदारी अधिकार के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। अपीलांट ने अगर कोई अतिक्रमण किया था तो उस अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल हो गया। रेस्पोंडेंट अपनी आवंटित भूमि का काश्तकार खातेदार है ऐसी स्थिति में उसे प्रथम अपील में पक्षकार बनाए जाने की आवश्यकता नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के आवंटन को बहाल रखते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियाद के संबंध में कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 21-03-2000 के विरूद्ध अपील वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई। जोकि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में इतनी लम्बी अवधि को दरगुजर करने के जो कारण अंकित किये गये है, वह संतोषजनक कारण नहीं होने के कारण अपीलांट् की अपील मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पारित निर्णयों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रकरण में जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, आक्षेपित आदेश दिनांक 21-03-2000 के विरूद्ध अपील दिनांक 30-05-2005 को प्रस्तुत की गई। इस संबंध में हमने आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपीलांट् को अपील में पक्षकार स्थापित किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियाद अधिनियम बाधक नहीं होने व विधि की मंशा कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहाँ न्यायालय को मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय हेतु अग्रसर होना चाहिए को ध्यान में रखते हुए अपीलांट् का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2612/2005/जयपुर मदन बनाम भोलू व मांगीलाल	नम्बर व तारीख
	हस्तगत् प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर के समक्ष आवंटन नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम केरिया बुजुर्ग के खसरा नम्बर 184/4 में 8 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है, जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा अप्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक के उपरान्त कभी भी मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं करते हुए आवंटन नियमों की अवहेलना की गई है। अतः वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं आराजी जैर पर सड़क व रास्ता होने एवं अन्य भूमि रिक्त होने के साथ–साथ मूल आवंटी अप्रार्थी की जाति के संबंध में विवाद होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मौके पर उपलबध भूमि की विधिवत तरमीम करते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आवंटन का पात्र होने पर भूमि आवंटित की जावे। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय के समक्ष अपील पेश करते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी मदन जोकि विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर शिकायतकर्ता था, को पक्षकार स्थापित किये बिना अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी की हितबद्धता के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए एवं प्रार्थी द्वारा वर्ष 1997 से निरन्तर वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु कार्यवाही किये जाने के उपरान्त एवं विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी बतौर पक्षकार स्थापित होने के तथ्य को दृष्टिगत् रखे बिना ही अप्रार्थी की अपील को एकतरफा तौर पर स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों की हितबद्धता के प्रश्न को दृष्टिगत् रखते हुए पारित किये गये आदेश के विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पक्षकार स्थापित किये बिना प्रस्तुत की गई अपील में एकतरफा तौर पर पारित आक्षेपित आदेश पुष्टि योग्य आदेश नहीं होने से प्रार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाकर प्रकरण उभय पक्षों को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने के आधार पर प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है। प्रकरण में दौराने बहस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रकट किया गया था कि जिला कलक्टर को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र को केवल मात्र स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की शक्तियाँ ही प्राप्त है, संबंधित कलक्टर द्वारा प्रकरण को पुनः जाँच हेतु आवंटन अधिकारी को प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का यह भी अभिमत है कि चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट् द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता का परीक्षण उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को यह निर्देश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2612/2005/जयपुर मदन बनाम भोलू व मांगीलाल	नम्बर व तारीख

प्रदान किये जाने भी उचित पाते है कि अपील के निस्तारण के समय उक्त आशय के संबंध में भी विधिक प्रावधानों/स्थिति को दृष्टिगत् रखा जावे।

परिणामतः प्रार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–03–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसरण में शिकायतकर्ता मदन पुत्र दुर्गा को पक्षकार स्थापित करते हुए एवं जिला कलक्टर, जयपुर को भू–राजस्व अधिनियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र को पुनः जांच हेतु प्रकरण आवंटन अधिकारी को प्रतिप्रेषित किए जाने की शक्तियां निहित है अथवा नहीं? के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। उभय पक्षों को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–04–2025 को उपस्थित होवें। आदेश की सूचना जरिये कम्प्यूटर उभय पक्षों को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दडिया)
सदस्य